संख्या–869/24–1–10–1140/09

प्रेषक,

मो0 मारूफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 27 अप्रैल, 2010

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 में उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–205 एफएम/एफ–।।/बजट/184/2010–11, दिनांक 08.03.2010 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0– बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वित्तीय वर्ष 2010–11 में उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2,84,00,00,000/–(रूपये दो अरब चौरासी करोड़ मात्र) में से रूपये 1,42,00,00,000/–को स्वीकृत एवं व्यय किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2– उक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण रु0 23,67,00,000/– (रु0 तेइस करोड़ सड़सठ लाख मात्र) की पॉच समान किश्तों में क्रमशः माह अप्रैल, 2010 से माह अगस्त, 2011 तक छठवीं किश्त रु0 23,65,00,000/– (रु0 तेइस करोड़ पैंसठ लाख मात्र) माह सितम्बर, 2010 में किया जायेगा।

3– उक्त प्रस्तर–1 में वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्ष 2009–10 में इस मद में स्वीकृत समस्त धनराशि व्यय कर ली गयी हैं तथा इसका एक प्रमाण पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाय। बिना उक्त आशय का प्रमाण–पत्र दिये शासन द्वारा धनराशि का आहरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के प्रपत्र संख्या–42जी/शुद्ध पत्र संख्या–426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा बिल को प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन को विशेष सचिव अथवा सचिव अथवा प्रमुख सचिव को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर व्यय की गई धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम, जहॉ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6– इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–05–संचरण एवं वितरण–190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों में निवेश– 09–उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अंशपूँजी –आयोजनागत–30– निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–10–यू0ओ0–93/दस–2009, दिनांक 26 अप्रैल, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 मारूफ)
अनु सचिव।

संख्या–869(1)/24–1–10 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 प्रथम (एल0ए0 सेक्शन–3), इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी, लखनऊ।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–10/वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग–1/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9
4– संबंधित सहायक/गार्ड बुक।
5– राज्य योजना आयोग–1

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
अनु सचिव।